न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : गोपाल सैनी, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 60/2026

सी.आई.एस. नम्बर 54/2026

1. मैमचन्द पुत्र श्री काडू जाटव उम्र करीब 36 साल निवासी ग्राम भयाडी थाना बडौदामेव जिला अलवर।

प्रार्थी–अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक लक्ष्मणगढ जिला अलवर

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 71/2026 थाना बडौदामेव, अपराध धारा 303(2),329(2) बीएनएस

उपस्थिति :–

1. श्री बृजराज सिंह नरूका, अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से
2. श्री अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से

आदेश **दिनांक 06.04.2026**

1. इस आदेश के माध्यम से प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी।

2. संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया इमरती पत्नी हरप्रसाद उर्फ हरफी ने टाईपशुदा रिपोर्ट थाना बडौदामेव पर इस आशय की प्रस्तुत की, कि मैं इमरती पत्नी हरप्रसाद उर्फ हरफी निवासी ग्राम बेलाका, अलवर मेरी जमीन गांव बेढा में खसरा नबर 292 जो कि लगभग 2.6 बीघा है जिसे हम कई सालों से बुवाई कर रहे हैं। इस पर मैंने सरसों की फसल कर रखी है। मैं और मेरा परिवार गांव बेलाका, अलवर में रहते हैं। हम लोग दिनांक 03.03.2026 को सुबह अपनी फसल काटने के लिए आये, लेकिन जब हम खेत पर पहुंचे तो हमने देखा कि फसल पहले से ही कटी हुई थी। हम लोगों को पूरा शक है कि फसल की चोरी मेमचन्द पुत्र काडूराम निवासी भयाडी के द्वारा की गयी है। जब हमने फसल

बोई थी तब भी मेमचन्द ने हमें धमकी दी कि तुम कितनी भी फसल उगा लो काटुंगा भी मैं ही ... इत्यादि रिपोर्ट पर थाना बडौदामेव पर प्र.सू.रि.सं. 71/2026 दर्ज कर प्रकरण अनुसंधानाधीन।

3. दौराने बहस प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में मिथ्या झूठे तथ्यों के आधार पर फसाया गया है, जबकि प्रार्थी निर्दोष है। जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी इमरती के पति हरफी उर्फ हरप्रसाद द्वारा अननी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख.नं. 292 रकबा 0.5817 है. वाके ग्राम बेढ़ा तह. लक्ष्मणगढ का बेचान प्रार्थी के हक में 04.07.2025 को 23,00,000 रू.में किया। जिस बेचान की रकम में से परिवादिया के पति हरफी उर्फ हरप्रसाद ने तादादी 20,00,000 रू. प्राप्त किये और मौके पर उक्त आराजी का कब्जा प्रार्थी को दिया गया और बाकी रकम 3,00,000 रू. हरफी उर्फ हरप्रसाद द्वारा आगामी दिनांक 20.08.2025 तक लेकर बयनामा प्रार्थी के हक में कराना तय हुआ। हरफी उर्फ हरप्रसाद द्वारा प्रार्थी के हक में इकरारनामय बय 04.07.2025 को लिखा जाकर नोटेरी से तस्दीक कराया। लेकिन परिवादिया के पति विक्रेता हरफी उर्फ हरप्रसाद द्वारा प्रार्थी से बाकी रकम लेकर प्रार्थी के हक में बयनामा कराने में आनाकानी की और प्रार्थी के हक में बयनामा न कराना पडे इस उद्देश्य से परिवादिया के पति हरफी उर्फ हरप्रसाद ने इकरारनामा बय की अवधि 20.08.2025 से पूर्व ही अपनी पत्नी परिवादिया इमरती के हक में बिना कब्जा बिना आधार कथित दानपत्र 13.08.2025 को उप पंजीयक के यहां पंजीबद्ध करा दिया। जिसका पता लगने पर विक्रेता हरफी उर्फ हरप्रसाद से कथित दानपत्र निरस्त करने व इकरारनामा बय की पालना में प्रार्थी के पक्ष में बयनामा कराने को कहा, लेकिन विक्रेता हरफी ने अपना पार्ट अदा नहीं किया, जिस पर प्रार्थी द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मणगढ के समक्ष एक दावा बाबत तकमील मुहायदा बय व स्थाई निषेधाज्ञा मैमचन्द बनाम हरफी उर्फ हरप्रसाद पेश किया गया। अतः उपरोक्त आराजी भूमि पर प्रार्थी का बाद क्रय 04.07.2025 से बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। परिवादिया द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की बय की रकम 20,00,000 रू. हड़पने की मंसा से एफआईआर दर्ज करायी गयी है। पुलिस ने गलत रूप से परिवादी से मिलकर प्रार्थी को बेजा रूप से फसाकर गिरफतार कर बेइज्जत करना चाहती है। जबकि प्रार्थी एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसकी समाज व इलाके में अच्छी इज्जत है तथा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, न ही प्रार्थी के विरूद्ध अन्य केस है। जबकि प्रार्थी अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार है,

भागने का अंदेशा नहीं है, अदालत संतुष्टि हेतु मोतबीर जमानत पेश करने को तेयार है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित गंभीर प्रकृति के अपराध को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में धारा 303(2),329(3) बीएनएस के गंभीर प्रकृति के अपराधों को कारित किये जाने का अभियोग है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण की परिवादिया इमरती के पति हरप्रसाद उर्फ हरफी की ग्राम बेढ़ा तहसील लक्ष्मणगढ स्थित आराजी ख.नं. 292 रकबा 2.6 बीघा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर उनके द्वारा सरसों की फसल बोई हुई थी तथा दिनांक 03.03.2026 को जब वह खेत पर गये तो फसल पहले से कटी हुई थी जिसे मैमचन्द द्वारा बिना उनकी सहमति के बेईमानीपूर्वक काटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से भी प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी के संबंध में परिवादिया इमरती के पति हरफी उर्फ हरप्रसाद द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को जरिए इकरारनामा बेचान करना तथा हरफी उर्फ हरप्रसाद द्वारा उक्त इकरारनामा के मद्दे रजिस्टर्ड बयनामा नहीं कराने व उक्त आराजी का हरफी उर्फ हरप्रसाद द्वारा अपनी पत्नी परिवादिया इमरती के नाम रजिस्टर्ड दानपत्र निष्पादित करने पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा थाना पुलिस थाना बडौदामेव पर एफआईआर 214/25 दर्ज करवायी गयी थी, जिसमें बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा संस्थित उक्त एफआईआर में अदम वकु सिविल नेचर में एफ.आर. प्रस्तुत की गयी थी। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय में उक्त आराजी के संबंध में परिवादिया इमरती देवी के पति हरफी उर्फ हरप्रसाद के विरूद्ध संविदा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु वाद प्रस्तुत किया हुआ है। किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त के केवल मात्र उक्त वाद संस्थित करने से, जब तक कि उक्त वाद का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि उसके द्वारा हस्तगत प्रकरण में परिवादी पक्ष की कब्जे व खातेदारी की उक्त आराजी पर आपराधिक अतिचार कारित करते हुए परिवादी की बोई हुई सरसों की फसल को बेईमानीपूर्वक आशय से काटकर चोरी कर नहीं ले जाया गया हो। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 303(2), 329(3) बीएनएस के अपराधों को कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है तथा प्रकरण वर्तमान

में अनुसंधान के स्तर पर है एवं प्रार्थी से प्रकरण में अनुसंधान एवं बरामदगी होना शेष है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से ऐसा दर्शित नहीं होता है कि प्रार्थी को प्रकरण में झूठा संलिप्त किया जा रहा हो एवं उसकी उक्त अपराध में कोई संलिप्तता नहीं हो।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टानत 2014 क्रिमी.एल.आर. (एससी) 94 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि The above provision makes it clear that the power exercisable under Section 438 of the Code is somewhat extraordinary in character and it is to be exercised only in exceptional cases where it appears that the person may be falsely implicated or where there are reasonable ground for holding that a person accused of an offense is not likely to otherwise misuse his liberty.

7. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर प्रार्थी की अपराध में संलिप्तता प्रकट है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी न करते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त मैमचन्द पुत्र श्री काडू जाटव उम्र करीब 36 साल निवासी ग्राम भयाडी थाना बडौदामेव जिला अलवर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(गोपाल सैनी)

9. आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल सैनी)